



बारां नागरिक सहकारी बैंक लि0

प्रधान कार्यालय : नियर बस स्टेण्ड , बारां – 325205 (राजस्थान)

टेलीफोन नं. 07453 – 230084 टेलीफैक्स नं. 07453 – 230343

E-mail Id: ho@bnsb.bank.in, Mob No-8306786910,8306786911



अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता :
सहकारी समितियाँ एक वेहतर दुर्भागी का निर्माण करती हैं

क्रमांक—फा० () बानासबैंक—प्र.का./सीईओ./2025–26 /

दिनांक—18.11.2025

—मुख्यकार्यकारी अधिकारी हेतु विज्ञापनः—

बारां नागरिक सहकारी बैंक लि० प्रधान कार्यालय बारां (राजस्थान) में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रबंध संचालक) के एक पद पर अनुबंध के आधार पर तीन वर्ष के लिए नियुक्ति हेतु योग्य “सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी” उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। आवेदक अपना आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज (दो प्रति में) बैंक के प्रधान कार्यालय, बस स्टेण्ड के पास बारां—325205 (राजस्थान) में दिनांक 19.12.2025 तक व्यक्तिगत या डाक द्वारा जमा करवा सकते हैं। नियुक्ति का निर्णय गठित “एनआरसी”कमेटी द्वारा किया जावेगा। आवेदन पत्र प्रारूप, अनुबंध व शर्तें आदि की विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट www.bnsb.bank.in पर देखी / डाउनलोड की जा सकती है।

महाप्रबन्धक

पात्रता—

- 1— आवेदक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होगा जो प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित में से किसी के साथ हो—
 - (अ) बैंकिंग / सहकारी बैंकिंग में योग्यता जैसे—सीएआईआईबी / डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाईनेंस / डिप्लोमा इन को-ऑपरेटिव बिजनेस मेनेजमेंट या कोई समकक्षीय योग्यता : अथवा
 - (ब) चार्टर्ड / कॉस्ट अकाउन्टेट / एमबीए (फाईनेंस) :अथवा
 - (स) किसी भी विषय के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन।
- 2— **आयु सीमा—**
नियुक्ति के समय आवेदक की आयु अधिमानतः 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- 3— आवेदक के पास बैंकिंग क्षेत्र में (संबंधित यूसीबी में प्राप्त अनुभव सहित) या ऋण (ऋण कंपनियों) और आस्ति वित्तपोषण में शामिल गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों में मध्य/वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर कम से कम आठ वर्ष का संयुक्त अनुभव होना चाहिए।

वेतन—

- न्यूनतम— रु0 **40000/-** मासिक
 अधिकतम— अंतिम प्राप्त सकल वेतन का 75 प्रतिशत या रु0 **150000/-** जो भी कम हो।
 (अधिकतम वेतन रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर से अनुमोदन के पश्चात् देय होगा)

आवेदन करना/सामान्य शर्तें/अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची—

- 1— इच्छुक योग्य उम्मीदवार विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट **www.bnsb.bank.in** पर देखें।
- 2— केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन के पात्र होंगे।
- 3— शैक्षणिक योग्यता यथा अंकतालिका/डिग्री/प्रमाणपत्र की फोटोप्रति स्वप्रमाणित,
- 4— ऐच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति आदेश की स्वप्रमाणित प्रति,
- 5— गत नियोक्ता/सेवानिवृत्ति पर प्राप्त अंतिम वेतन प्रमाणपत्र, स्वप्रमाणित प्रति,
- 6— गत नियोक्ता का अनुभव प्रमाणपत्र, स्वप्रमाणित प्रति,
- 7— पहचान दस्तावेज—पेनकार्ड, आधारकार्ड, स्वप्रमाणित प्रति,
- 8— गत तीन वर्ष की दाखिल की गई आयकर विवरणी की प्रति,
- 9— प्रसंविदाओं के विलेख का प्रपत्र अनुबंध I ,
व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा पर स्व-घोषणा अनुबंध II ,
घोषणा और वचनबद्धता अनुबंध III ,
- 10— बैंक के पास बिना कोई कारण बताए नियुक्ति प्रक्रिया को संशोधित करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

संशोधन

बारां नागरिक सहकारी बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, बारां द्वारा जारी “मुख्यकार्यकारी अधिकारी हेतु विज्ञापन” के पेज कमांक 2 पात्रता के बिन्दु संख्या 2—आयुसीमा—में अंकित “नियुक्ति के समय आवेदक की आयु अधिमानतः 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए” लिखा है, जिसमें आंशिक संशोधन निम्नानुसार तत्काल प्रभाव से किया जाता है—

“आवेदक अपने पूरे कार्यकाल के दौरान किसी भी समय 35 वर्ष से कम और 70 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए।”(यानि 67 वर्ष से कम होना चाहिए)

महाप्रबन्धक

आवेदन पत्र

आवेदित पद— मुख्यकार्यकारी अधिकारी “ए” ग्रेड (प्रबन्ध संचालक)
बारां नागरिक सहकारी बैंक लि0 प्रधान कार्यालय बारां।

1	आवेदनकर्ता का पूरा नाम		<p>रंगीन फोटो जो 6 माह से अधिक पुराना ना हों</p>
2	पिता का नाम		
3	माता का नाम		
4	जन्म दिनांक	आयु	
5	राष्ट्रीयता		
6	धर्म		
7	जाति		
8	लिंग		
9	विवाहित / अविवाहित		
10	भाषा ज्ञान		
11	पता— ईमेल पता— शैक्षणिक योग्यता— माध्यमिक— स्नातक— स्नातकोत्तर— अन्य—	मोबाइलनं0 वर्ष श्रेणी	
12	कार्य अनुभव— सेवानिवृत्ति देने वाले विभाग का नाम— सेवानिवृत्ति दिनांक—, सेवानिवृत्ति पर प्राप्त सकल वेतन रु— सेवानिवृत्ति दिनांक को धारित अधिकारी वर्ग स्केल— अंतिम धारित स्केल पर कार्य अनुभव अवधि वर्ष—माह—		
13	आधारकार्ड संख्या—	पेनकार्ड संख्या—	
14	निर्धारित प्रारूप में प्रसविदा का विलेखपत्र अनुबंध I, स्वघोषणा अनुबंध II, घोषणा और वचनबद्धता अनुबंध III, अनुलग्नक सहित प्रस्तुत करना होगा।		
15	यदि कोई जानकारी जो आवश्यक हो—		
<p>मैं घोषणा करता हूं कि इस आवेदन पत्र में दिया गया समस्त विवरण मेरे स्वज्ञान से सत्य एवं सही है। मेरे पूर्व नियोक्ता द्वारा मेरे पूरे सेवाकाल में मेरे विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक या किसी भी प्रकार की कोई वसूली कार्यवाही नहीं हुई है और न ही विचाराधीन है।</p> <p>दिनांक—</p> <p>स्थान—</p>			

हस्ताक्षर आवेदक

अनुबंध ।

एमडी/डब्ल्यूटीडी के साथ प्रसंविदाओं के विलेख का प्रपत्र

(दिनांक 25 जून 2021 का परिपत्र सं डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22 देखें)

प्रसंविदाओं का यह विलेख _____ दो हजार ____ के ____ दिन को पहले भाग के रूप में
_____ जिसका पंजीकृत कार्यालय ____ में है (जिसे बाद में 'बैंक' कहा गया है) और दूसरे
भाग के रूप में _____ श्री / सुश्री _____ (जिसे इसके बाद 'एमडी/डब्ल्यूटीडी' कहा गया है) के
बीच बनाया गया है।

जिसमें,

क. बैंक के एमडी / डब्ल्यूटीडी के रूप में उनकी नियुक्ति की शर्त के रूप में, श्री / सुश्री ----- को
बैंक के साथ एक प्रसंविदा विलेख करना आवश्यक है।

ख. श्री/ सुश्री ----- इस प्रसंविदा विलेख में प्रवेश करने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसे बोर्ड
द्वारा उसकी उक्त नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया गया है।

अब इस पर सहमति हुई है और प्रसंविदाओं का यह विलेख इस प्रकार साक्षी है:

1. श्री/सुश्री ----- स्वीकार करते हैं कि एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में उनकी नियुक्ति बैंक के
निम्नलिखित उपनियम और इस प्रसंविदा विलेख के प्रावधान सहित लागू कानूनों और विनियमों के
अधीन है।
2. श्री/सुश्री ----- बैंक के साथ प्रसंविदा करते हैं कि:

- (i) वह बोर्ड को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने हित की प्रकृति की जानकारी प्रदान
करेगा/करेगी, बशर्ते उसका कोई हित है या किसी अनुबंध या व्यवस्था या किसी प्रस्तावित
अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश किया है या किया जाना है जोकि बैंक और किसी अन्य व्यक्ति के
बीच है, इसके बारे में पता चलने पर या बोर्ड की बैठक में, जिसमें इस तरह के अनुबंध या

व्यवस्था में प्रवेश करने के प्रश्न पर विचार किया जाता है या यदि वह उस तिथि पर नहीं था इस तरह के प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था में संबंधित या हित रखते हैं, तो बोर्ड की पहली बैठक में उसके संबन्धित या इच्छुक होने के बाद और किसी अन्य अनुबंध या व्यवस्था के मामले में वह जुड़ जाता/ जाती है या अनुबंध या व्यवस्था में रुचि रखता है तो वह बोर्ड की पहली बैठक में ही आवश्यक प्रकटीकरण करेगा।

(ii) वह बोर्ड को सामान्य नोटिस द्वारा कॉर्पोरेट निकायों की अपनी सदस्यता, अन्य संस्थाओं में अपनी हित और फर्मों के भागीदार या स्वामी के रूप में अपने हित की जानकारी प्रदान करेगा और तदनुरूप बोर्ड को सभी परिवर्तनों से अवगत कराएगा ।

(iii) वह बैंक को आरबीआई दिशानिर्देशों में परिभाषित उसकी/उसके रिश्तेदारों की सूची और जिस हद तक वह ऐसे रिश्तेदारों के अन्य निकायों कॉर्पोरेट, फर्मों और अन्य संस्थाओं में निदेशक पदों और हितों से अवगत है की जानकारी, बैंक को प्रदान करेगा ।

(iv) वह बैंक के एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाएगा:

(क) कौशल की ऐसी योग्यता का उपयोग करेगा जो किसी व्यक्ति से उसके ज्ञान या अनुभव की अपेक्षा करने के अनुरूप होगा;

(ख) अपने कर्तव्यों के निष्पादन में इस तरह की देखभाल करेगा कि उससे अपनी ओर से उचित रूप से करने हेतु उससे आशा की जा सकती है और बैंक के हित में और अच्छे विश्वास में उसमें निहित किसी भी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है;

(ग) बैंक के व्यवसाय, गतिविधियों और वित्तीय स्थिति के बारे में उस सीमा तक खुद को सूचित रखेगा, जिस हद तक उसे बताया गया है;

- (घ) अच्छी नियमितता के साथ बोर्ड और समितियों (जिसका वह हिस्सा है) की बैठकों में भाग लेगा (सामूहिक रूप से संक्षिप्तता के लिए इसे 'बोर्ड' कहा गया है) और ईमानदारी से बैंक के एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में अपने दायित्वों को पूरा करेगा;
- (ङ.) बैंक के हितों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए बोर्ड के किसी भी निर्णय को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा;
- (च) बोर्ड के सामने लाए गए बैंक को प्रभावित करने वाले सभी मामलों पर स्वतंत्र निर्णय लाएगा, जो सांविधिक अनुपालन, निष्पादन समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, प्रमुख कार्यकारी नियुक्तियों और आचरण के मानकों को शामिल करते हुए किन्तु यहीं तक सीमित नहीं होगा;
- (छ) बोर्ड के समक्ष लाए गए या बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों में अपने निर्णय के प्रयोग में किसी भी व्यवसाय या अन्य संबंध से मुक्त होगा जो उसके स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग में भौतिक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है; तथा
- (ज) बोर्ड की बैठकों में बिना किसी भय या पक्षपात के और अपने स्वतंत्र निर्णय के प्रयोग पर बिना किसी प्रभाव के अपने विचार और राय व्यक्त करेगा;
- (v) उसके पास होगा:
- (क) सद्भावना और बैंक के हित में कार्य करने के लिए प्रत्ययी कर्तव्य होगा और किसी संपार्श्वक उद्देश्य के लिए नहीं;
- (ख) केवल बैंक के उपनियमों और लागू कानूनों और विनियमों द्वारा निर्धारित शक्तियों के भीतर कार्य करने का कर्तव्य; तथा
- (सी) बैंक के कारोबार की उचित समझ हासिल करने का कर्तव्य।
- (vi) वह सुनिश्चित करेगा/करेगी:

(क) बोर्ड द्वारा उसे सौंपे गए मामलों के संबंध में जिम्मेदारी से अपवंचन नहीं करेगा;

(ख) बैंक के अन्य अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जहां भी एमडी/डब्ल्यूटीडी के पास अन्यथा विश्वास करने का कारण होगा, वह तुरंत बोर्ड को अपनी चिंताओं से अवगत कराएगा; तथा

(ग) अपने या किसी और के लाभ या हित के लिए बैंक के एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में उन्हें दी गई जानकारी का अनुचित उपयोग नहीं करेंगे और बैंक द्वारा उन्हें दी गई जानकारी का उपयोग बैंक के एमडी/ डब्ल्यूटीडी केवल एमडी/ डब्ल्यूटीडी के रूप में अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन के लिए अपनी क्षमता में करेंगे न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए।

3. बैंक सुश्री/ श्री ----- के साथ अनुबंध करता है कि:

(i) बैंक श्री/सुश्री ----- को निम्नलिखित के बारे में सूचित करेगा:

- क. एमडी डब्ल्यूटीडी के कानूनी और अन्य कर्तव्यों की पहचान और वैधानिक दायित्वों के साथ / आवश्यक अनुपालन सहित बोर्ड प्रक्रियाएं;
- ख. नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएं;
- ग. ऐसे मामले जिनमें एमडीडब्ल्यूटीडी को उनकी रुचि के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग / नहीं लेना चाहिए;
- घ. योग्यता आवश्यकताएं और उपनियमों की प्रतियां प्रदान करना;
- ङ. बोर्ड द्वारा गठित विभिन्न समितियों के लिए प्राधिकरण का गठन, अधिकारों का प्रत्यायोजन और संदर्भ की शर्तें;
- च. वरिष्ठ कार्यपालकों की नियुक्ति और उनका अधिकार;
- छ. बोर्ड की समितियों के विचारविमर्श-, और
- ज. नीतियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण प्रणालियों, बैंक के उपनियमों सहित लागू विनियमों, प्राधिकरणों के प्रत्यायोजन, वरिष्ठ कार्यपालकों आदि में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करना।

ii) बैंक श्री/सुश्री--- को बैंक के एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में अपने कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उनके लिए उचित रूप से आवश्यक सभी जानकारी और बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा बोर्ड के विचारार्थ या एमडी/डब्ल्यूटीडी को सौंपे गए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने संबंधी जानकारी का खुलासा करेगा और प्रदान करेगा;

iii) बैंक द्वारा श्री सुश्री/----- को किए जाने वाले खुलासे में निम्नलिखित शामिल होंगे लेकिन यह केवल इन खुलासों तक ही सीमित नहीं होंगे:

- क. बोर्ड के समक्ष लाए गए मामलों के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सभी प्रासंगिक जानकारी;
- ख. बैंक की रणनीतिक और व्यावसायिक योजनाएं और पूर्वानुमान;
- ग. बैंक की संगठनात्मक संरचना और अधिकारों का प्रत्यायोजन,
- घ. प्रक्रियाओं सहित कॉर्पोरेट और प्रबंधन नियंत्रण और सिस्टम;
- ड. आर्थिक विशेषताएं और विपणन वातावरण,
- च. बैंक के उत्पादों के बारे में उपयुक्त जानकारी और अद्यतन;
- छ. प्रमुख व्यय पर सूचना और अद्यतन;
- ज. बैंक के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा; तथा
- झ. रणनीतिक पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में समयसमय पर रिपोर्ट करना-;

iv) बैंक एमडी-विचार डब्ल्यूटीडी और संबंधित कर्मियों को बोर्ड के/के परिणाम के बारे में सूचित करेगा और बोर्ड की बैठक के कार्यवृत्त को एमडी डब्ल्यूटीडी और निदेशकों को समयबद्ध तरीके से और यथासंभ/बोर्ड की बैठक के समापन की तारीख के दो व्यावसायिक दिनों के भीतर परिचालित करेगा; तथा

(v) बोर्ड के समक्ष रखे गए मामलों में प्रत्यायोजित अधिकार के स्तरों के बारे में एमडी/डब्ल्यूटीडी को सलाह देगा।

4. बैंक एमडीडब्ल्यूटीडी को उसकी प्रभावशीलता सहि/त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के कामकाज पर आवधिक रिपोर्ट प्रदान करेगा।

5. श्री/सुश्री----- एमडीडब्ल्यूटीडी के रूप में अपने कार्यालय और अपने अधिकारों और दायित्वों को निर्दिष्ट, स्थानांतरण, सबलेट या बोझ नहीं डालेंगे बशर्ते कि इसमें निहित कुछ भी बोर्ड या उसकी किसी समिति द्वारा किसी भी प्राधिकरण, शक्ति, कार्य या अधिकारों के प्रत्यायोजन को प्रतिबंधित करने के लिए बैंक के उपनियमों सहित लागू कानूनों और विनियमों के अधीन नहीं माना जाएगा।

6. किसी भी पक्ष की ओर से किसी भी दायित्व या कर्तव्य का पालन करने, निर्वहन करने, पालन करने या अनुपालन करने में विफलता को उसकी छूट नहीं माना जाएगा और न ही यह उसके प्रदर्शन, पालन, निर्वहन या अनुपालन के लिए उसके बाद किसी भी समय या समय-समय पर एक बार के रूप में काम करेगा। ।

7. इस प्रसंविदा विलेख में कोई भी और सभी संशोधन औरया परिवर्तन केवल तभी मान्य /या पूरक और/ सुश्री/और प्रभावी होंगे जब श्री ----- और बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित हों ।

8. प्रसंविदा के इस विलेख को दो प्रतियों में निष्पादित किया गया है और दोनों प्रतियों को मूल माना जाएगा।

जिसकी साक्ष्य में पार्टियों ने इस अनुबंध को ऊपर वर्णित दिन, माह और वर्ष को विधिवत निष्पादित किया है।

बैंक के लिए	एमडीडब्ल्यूटीडी/
द्वारा
नाम:	नाम:
पदनाम:	
की उपस्थिति में:	
1.....	2.....

व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा पर स्व-घोषणा

(दिनांक 25 जून 2021 का परिपत्र डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22 देखें)

मैं समझता हूं कि विश्वास मेरे पेशे की नींव है। मैं, इसलिए, प्रतिज्ञा करता हूं:

- अत्यंत सत्यनिष्ठा और ईमानदारी तथा नैतिक तरीके से अपना कार्य करूंगा;
- व्यक्तिगत व्यवहार में ईमानदारी का प्रदर्शन करते हुए उदाहरण पेश करूंगा;
- विधि का अक्षरशः और भावना से पालन करूंगा और नैतिक संयम के साथ मेरे लक्ष्यों को पूरा करूंगा;
- न तो रिश्तत लूंगा और न ही रिश्तत दूंगा;
- सभी कार्यों को ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से करूंगा और हमेशा जनहित में कार्य करूंगा;
- भष्टाचार की किसी भी घटना की सूचना उपयुक्त एजेंसी को दूंगा और गलत कार्यों के खिलाफ आवाज उठाऊंगा और ऐसा करने वाले अन्य लोगों का समर्थन करूंगा;
- मेरे कार्यों की जिम्मेदारी लूँगा और दूसरों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार करूंगा।

एमडी/डब्ल्यूटीडी के हस्ताक्षर

तारीख:

स्थान और पता:

अनुबंध III

यूसीबी का नाम: _____

‘प्रस्तावित एमडी/डब्ल्यूटीडी द्वारा घोषणा और वचनबद्धता’

(उपयुक्त संलग्नकों के साथ)

(दिनांक 25 जून 2021 का परिपत्र डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22 देखें)

क्रम.सं.	विवरण	जानकारी का खुलासा		
I. व्यक्तिगत जानकारी				
1.	पूरा नाम	पहला नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (पु/स्त्री/अन्य)			
4.	वर्तमान पता			
5.	ई-मेल पता और वैकल्पिक ई-मेल पता: एसटीडी कोड के साथ टेलीफोन नंबर: मोबाइल नंबर:			
6.	राष्ट्रीयता			
7.	जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) और आयु	- - / - - / - - - -	आयु:	वर्ष - - माह
8.	शैक्षिक योग्यता			
9.	आधार संख्या			

10.	<p>(क) स्थायी खाता संख्या (पैन)</p> <p>(ख) वह स्थान जहां एमडी/डब्ल्यूटीडी के कर की समीक्षा की जाती है (आयकर क्षेत्राधिकार)/आयकर सर्किल/वार्ड का नाम और पता</p> <p>(ग) पिछले 3 वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने और करों के भुगतान का विवरण</p>	<table border="1" data-bbox="926 354 1530 720"> <thead> <tr> <th data-bbox="936 361 1160 487">दाखिल करने की तिथि</th><th data-bbox="1160 361 1530 487">भुगतान किए गए कर की राशि (INR)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	दाखिल करने की तिथि	भुगतान किए गए कर की राशि (INR)						
दाखिल करने की तिथि	भुगतान किए गए कर की राशि (INR)									
11.	स्थायी पता									
12.	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त विवरण)									
13.	पिछला व्यवसाय जिसमें न्यूनतम दस वर्षों का विवरण हो, काम करने वाले संगठन का पूरा पता, कार्यग्रहण की तारीख, कार्यमुक्त की तारीख (कारणों सहित), पदनाम, आदि।									
14.	बैंकिंग क्षेत्र/आरबीआई विनियमित इकाई में कार्य अनुभव के संबंध में विवरण (बैंक/संस्था का नाम, कार्यरत विभिन्न पदों पर वर्षों की संख्या, कार्यात्मक क्षेत्रों, आदि)									
15.	<p>अगर चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं तो निम्नलिखित दर्शाएँ:</p> <p>(a) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या:</p> <p>(b) आईसीएआई के साथ पंजीकरण की तिथि:</p>									

	(c) पंजीकृत फर्म का नाम और पता: (d) फर्म (फर्मों) या आपके द्वारा वर्तमान में किए गए ऑडिट का विवरण:					
16.	शाखा के साथ बैंकर का नाम और खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाते) जहां आप प्राथमिक खाता धारक हैं:	बैंक का नाम	शाखा	खाता का प्रकार	खाता का संख्या	
17.	शेयरधारिता का विवरण, यदि आपके पास, आपके पति या पत्नी और आपके नाबालिंग बच्चे द्वारा किसी भी इकाई में, भौतिक या अभौतिक रूप में रखा गया है। (डीमैट/शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)					
18.	बैंक के एमडी/डब्ल्यूटीडी के रूप में नियुक्ति के लिए प्रासंगिक कोई अन्य जानकारी:					
II. प्रस्तावित एमडी/डब्ल्यूटीडी के प्रासंगिक संबंध						
19.	रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो, जो बैंक से जुड़े हुए हैं:					
20.	संस्थाओं की सूची जिसमें: (ए) रुचि (बी) लाभकारी स्वामित्व (सी) ट्रस्टी					

21.	<p>मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (जैसा कि शहरी सहकारी बैंकों पर लागू है) की धारा 5 (एनई)¹ के अर्थ के भीतर पर्याप्त हित है</p>	<p>कंपनी / फर्म का नाम</p> <p>निगमन देश</p> <p>शेयरों की संख्या</p> <p>प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य</p> <p>शेयर होल्डिंग का कुल अंकित मूल्य</p> <p>कुल चुकता पूँजी के % के रूप में</p> <p>शेयरधारिता</p> <p>फायदाप्रद हित (मूल्य के साथ-साथ% शर्तों में)</p> <p>क्या इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 कंपनी है</p>
22.	<p>विदेशों में निगमित संस्थाओं और भारत में व्यवसाय का स्थान रखने वाली संस्थाओं में धारिता का विवरण।</p>	
23.	<p>बैंक/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या पूर्व में बोर्ड के सदस्य/सलाहकार आदि (उस अवधि का विवरण देते हुए जिसके दौरान ऐसा कार्य किया जा रहा है/ गया है)।</p>	

¹ "पर्याप्त हित" से- (I) किसी कंपनी के संबंध में, किसी व्यष्टि या उसके पति या पत्नी या उसकी अवयस्क संतान द्वारा, चाहे अलग-अलग या मिलाकर उस उनस शेयरों में जिन पर समादरत रकम पांच लाख रुपए से या कंपनी की समादरत पूँजी के दस प्रतिशत से, इनमें से जो भी कम हो, उससे अधिक है, फायदाप्रद हित का धारण किया जाना अभिप्रेत है; (II) किसी फर्म के संबंध में, किसी व्यष्टि या उसके पति या पत्नी या उसकी अवयस्क संतान द्वारा, चाहे अलग-अलग या मिलाकर, उस फर्म के सब आगीदारों द्वारा लगाई गई कुल पूँजी के दस प्रतिशत से अधिक के बराबर धारण किया गया फायदाप्रद हित अभिप्रेत हैं।]

24.	यदि किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, लीजिंग और अन्य पराबैंकिंग गतिविधियां करने वाली किसी इकाई से जुड़ा हो, तो उसका विवरण (एसोसिएशन की प्रकृति का उल्लेख किया जाना है)।	
25.	यदि कोई स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में लगी किसी संस्था से जुड़ा है, तो उसका विवरण।	
26.	यदि वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से और/या ऊपर (20) से (25) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाएं प्राप्त कि गयी हैं तो उनका विवरण।	
27.	मामले, यदि कोई हों, जहां व्यक्तिगत रूप से या ऊपर (20) से (25) तक सूचीबद्ध संस्थाओं ने किसी बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में चूक या जानबूझकर चूककर्ता के रूप में घोषित किया है।	
III. पेशेवर उपलब्धियों के रिकॉर्ड		
28.	एमडी/डब्ल्यूटीडी के पद के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियां।	
IV. कार्यवाही, यदि कोई हो, प्रस्तावित एमडी/डब्ल्यूटीडी के खिलाफ		

29.	<p>(ए) एक पेशेवर संघ / निकाय के सदस्य के रूप में अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू हो गया है या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में दोष सिद्ध हुआ है या क्या किसी पेशे / व्यवसाय में किसी भी समय प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया हो, उसका विवरण।</p> <p>(बी) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के संबंध में किसी लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण।</p>	
30.	<p>अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू हुआ या जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए स्वयं या ऊपर (20) से (25) में सूचीबद्ध संस्थाओं को दोषी ठहराया गया हो।</p>	
31.	<p>आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या जारी अथवा जिसके परिणामस्वरूप दोष सिद्ध हुआ हो।</p>	
32.	<p>क्या उसको एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन में संलिप्त या दंडित किया है, यदि हाँ, तो उसका विवरण।</p>	
33.	<p>यदि दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या भुगतान निलंबित कर दिया है या लेनदारों के</p>	

	साथ समझौता किया है, तो उसका विवरण।	
34.	यदि असंतुलित मानसिकता का पाया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, तो उसका विवरण।	
35.	(ए) यदि किसी अपराध के लिए आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है जिसमें नैतिक भ्रष्टता अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण।	
	(बी) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसका विवरण	
36.	यदि एक व्यक्ति के रूप में या ऊपर (20) से (25) तक की कोई भी संस्था किसी भी पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी से किसी भी जांच/सर्तकता/जांच के अधीन है, तो उसके विवरण।	
37.	यदि सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया है, तो उसका विवरण।	

38.	<p>यदि पेशेवर आचरण या गतिविधियों के कारण किसी अन्य नियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत द्वारा फटकार, निंदा, प्रतिबंधित, निलंबित, वर्जित, आदेश, या अन्यथा स्वीकृत किया गया हो, तो उसका विवरण।</p> <p>(यद्यपि किसी अभ्यर्थी के लिए कॉलम में उन आदेशों और निष्कर्षों के बारे में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें बाद में उलट दिया गया है / पूरी तरह से अलग कर दिया गया है, यदि उलट/अपास्त तकनीकी कारणों जैसे सीमा या अधिकार क्षेत्र की कमी पर किया जाता है और योग्यता के आधार पर नहीं है तो इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा। यदि आदेश अस्थायी रूप से रोक दिया गया है और अपीलीय/न्यायालय की कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए)।</p>	
-----	---	--

V. सामान्य जानकारी

39.	<p>यदि सनदी लेखाकार, अधिवक्ता आदि जैसे पेशेवर और वर्तमान में किसी बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्था में कोई व्यावसायिक कार्य करते/ किए हैं, तो नाम और अवधि सहित ब्यौरा प्रदान करें।</p>	
-----	--	--

40.	यदि कोई वर्तमान सांसद/ विधायक/ एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारण करता है, तो उसका ब्यौरा प्रदान करें।	
VI.	प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, 'उचित एवं उपयुक्त' स्थिति का आकलन करने के लिए अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी जिसका विवरण होना चाहिए।	
	वचनबंध	
	मैं यह पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त सूचना मेरे जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। यह वचन देता हूं कि बैंक को मेरी नियुक्ति के बाद होने वाली सभी घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र सूचित करूंगा जो ऊपर दी गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।	
	मैं बैंक के साथ निष्पादित किए जाने के लिए आवश्यक 'प्रसंविदा विलेख' को भी निष्पादित करने का वचन देता हूं।	
	प्रस्तावित एमडी/डब्ल्यूटीडी के हस्ताक्षर	
	उपरोक्त जानकारी सही और पूर्ण होने के संदर्भ में संतुष्ट होने के संदर्भ में नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की टिप्पणी	
	एनआरसी के अध्यक्ष का हस्ताक्षर	

दस्तावेजों की सूची

(दिनांक 25 जून 2021 का परिपत्र डीओआर.जीओवी.आरईसी.25/12.10.000/2021-22 देखें)

1. यूसीबी द्वारा एमडी/ डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने वाला अग्रेषण पत्र जिसे बैंक की मुहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है।
2. **अनुबंध III** में निर्धारित प्रारूप में एमडी/ डब्ल्यूटीडी द्वारा घोषणा और वचनबंध
3. एमडी/ डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की सिफारिश करने वाला बोर्ड संकल्प, बशर्ते भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त हो
4. पहचान दस्तावेज (कोई भी) - पैन कार्ड/ निर्वाचन कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ आधार
5. शैक्षणिक योग्यता - एमडी/ डब्ल्यूटीडी के रूप में नामित व्यक्ति की एचएसएससी उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र, स्नातक और स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र, या अन्य कोई शैक्षणिक/ व्यावसायिक योग्यता के सबूत के रूप में कोई अन्य दस्तावेज
6. पिछले नियोक्ता/ आँ से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र
7. साख सूचना रिपोर्ट (स्कोर + पूरी रिपोर्ट) (6 महीने से पुराना नहीं)
8. सभी खातों (जमा और ऋण दोनों खाते) के लिए बैंकर की रिपोर्ट जहां उम्मीदवार एक प्राथमिक खाताधारक है
9. **फॉर्म ए**
10. किसी भी इकाई में एमडी/डब्ल्यूटीडी द्वारा धारित की शेयर के प्रकटन के लिए डीमैट/ शेयरधारिता प्रमाण पत्र
11. एमडी/डब्ल्यूटीडी को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के संबंध में विवरण

FORM OF DEED OF COVENANTS WITH MD/WTD

(Refer circular DOR.GOV.REC.25/12.10.000/2021-22 dated June 25, 2021)

THIS DEED OF COVENANTS is made this _____ day of _____ Two thousand _____
BETWEEN _____, having its registered office at _____ (hereinafter
called the 'Bank') of the one part and Mr. / Ms._____ of _____
(hereinafter called the 'MD/WTD') of the other part.

WHEREAS

- A. As a term of his / her appointment as MD/WTD of the Bank, Mr/Ms.-----is required to enter into a Deed of Covenants with the Bank.
- B. Mr/Ms. ----- has agreed to enter into this Deed of Covenants, which has been approved by the Board, pursuant to his said terms of appointment.

NOW IT IS HEREBY AGREED AND THIS DEED OF COVENANTS WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. Mr/Ms.-----acknowledges that his / her appointment as MD/WTD is subject to applicable laws and regulations including the bye laws of the Bank and the provisions of this Deed of Covenants.
2. Mr/Ms.-----covenants with the bank that:
 - (i) he/she shall disclose to the Board the nature of his / her interest, direct or indirect, if he / she has any interest in or is concerned with a contract or arrangement or any proposed contract or arrangement entered into or to be entered into between the Bank and any other person, immediately upon becoming aware of the same or at meeting of the Board at which the question of entering into such contract or arrangement is taken into consideration or if he/she was not at the date of that meeting concerned or interested in such proposed contract or

arrangement, then at the first meeting of the Board held after he / she becomes so concerned or interested and in case of any other contract or arrangement, the required disclosure shall be made at the first meeting of the Board held after the he/she becomes concerned or interested in the contract or arrangement.

(ii) he/she shall disclose by general notice to the Board his / her memberships of bodies corporate, his / her interest in other entities and his / her interest as a partner or proprietor of firms and shall keep the Board apprised of all changes therein.

(iii) he/she shall provide to the Bank a list of his / her relatives as defined in RBI guidelines and to the extent he/she is aware directorships and interests of such relatives in other bodies corporate, firms and other entities.

(iv) he/she shall in carrying on his / her duties as MD/WTD of the Bank:

(a) use such degree of skill as may be reasonable to expect from a person with his / her knowledge or experience;

(b) in the performance of his / her duties take such care as he / she might be reasonably expected to take on his / her own behalf and exercise any power vested in him / her in good faith and in the interests of the Bank;

(c) shall keep himself / herself informed about the business, activities and financial status of the Bank to the extent disclosed to him / her;

(d) attend meetings of the Board and Committees (of which he/she is part of) thereof (collectively for the sake of brevity hereinafter referred to as 'Board ') with fair regularity and conscientiously fulfil his / her obligations as MD/WTD of the Bank;

(e) shall not seek to influence any decision of the Board for any consideration other than in the interests of the Bank;

(f) shall bring independent judgment to bear on all matters affecting the Bank brought before the Board including but not limited to statutory compliances, performance reviews, compliances with internal control

systems and procedures, key executive appointments and standards of conduct;

(g) shall in exercise of his / her judgment in matters brought before the Board or entrusted to him / her by the Board be free from any business or other relationship which could materially interfere with the exercise of his / her independent judgment; and

(h) shall express his / her views and opinions at Board meetings without any fear or favour and without any influence on exercise of his / her independent judgment;

(v) he/she shall have:

(a) fiduciary duty to act in good faith and in the interests of the Bank and not for any collateral purpose;

(b) duty to act only within the powers as laid down by the Bank's bye laws and by applicable laws and regulations; and

(c) duty to acquire proper understanding of the business of the Bank.

(vi) he/she shall:

(a) not evade responsibility in regard to matters entrusted to him / her by the Board;

(b) not interfere in the performance of their duties by the other officers of the Bank and wherever the MD/WTD has reasons to believe otherwise, he / she shall forthwith disclose his / her concerns to the Board; and

(c) not make improper use of information disclosed to him / her as MD/WTD of the Bank for his / her or someone else's advantage or benefit and shall use the information disclosed to him / her by the Bank in his / her capacity as MD/WTD of the Bank only for the purposes of performance of his / her duties as a MD/WTD and not for any other purpose.

3. The Bank covenants with Mr/Ms-----that:

- (i) the bank shall apprise Mr/Ms.-----about the:
 - (a) Board procedures including identification of legal and other duties of MD/WTD and required compliances with statutory obligations;
 - (b) control systems and procedures;
 - (c) matters in which MD/WTD should not participate because of his / her interest, direct or indirect therein;
 - (d) qualification requirements and provide copies of bye laws;
 - (e) constitution of, delegation of authority to and terms of reference of various committees constituted by the Board;
 - (f) appointments of Senior Executives and their authority;
 - (g) deliberations of committees of the Board, and
 - (h) communicate any changes in policies, procedures, control systems, applicable regulations including bye laws of the Bank, delegation of authority, Senior Executives, etc.
- (ii) the Bank shall disclose and provide to Mr/Ms----- all information which is reasonably required for him/her to carry out his/her functions and duties as the MD/WTD of the Bank and to take informed decisions in respect of matters brought before the Board for its consideration or entrusted to the MD/WTD by the Board or any committee thereof;
- (iii) the disclosures to be made by the Bank to Mr/Ms.----- shall include but not be limited to the following:
 - (a) all relevant information for taking informed decisions in respect of matters brought before the Board;
 - (b) Bank's strategic and business plans and forecasts;
 - (c) organisational structure of the Bank and delegation of authority,

(d) corporate and management controls and systems including procedures;

(e) economic features and marketing environment,

(f) information and updates as appropriate on Bank's products;

(g) information and updates on major expenditure;

(h) periodic reviews of performance of the Bank; and

(i) report periodically about implementation of strategic initiatives and plans;

(iv) the bank shall communicate the outcome of Board deliberations to MD/WTD and concerned personnel and prepare and circulate minutes of the meeting of Board to MD/WTD and directors in a timely manner and to the extent possible within two business days of the date of conclusion of the Board meeting; and

(v) advise the MD/WTD about the levels of authority delegated in matters placed before the Board.

4. The Bank shall provide to the MD/WTD periodic reports on the functioning of internal control system including effectiveness thereof.

5. Mr/Ms-----shall not assign, transfer, sublet or encumber his / her office and his / her rights and obligations as MD/WTD of the Bank to any third party provided that nothing herein contained shall be construed to prohibit delegation of any authority, power, function or delegation by the Board or any committee thereof subject to applicable laws and regulations including bye laws of the Bank.

6. The failure on the part of either party hereto to perform, discharge, observe or comply with any obligation or duty shall not be deemed to be a waiver thereof nor shall it operate as a bar to the performance, observance, discharge or compliance thereof at any time or times thereafter.

7. Any and all amendments and / or supplements and / or alterations to this Deed of Covenants shall be valid and effectual only if in writing and signed by Mr/Ms.----- and the duly authorized representative of the Bank.

8. This Deed of Covenants has been executed in duplicate and both the copies shall be deemed to be originals.

IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES HAVE DULY EXECUTED THIS AGREEMENT
ON THE DAY, MONTH AND YEAR MENTIONED ABOVE.

For the Bank	MD/WTD
By
Name:	Name:
Title:	
In the presence of:	
1.....	2.....

Annex II

Self-declaration on personal integrity

(Refer circular DOR.GOV.REC.25/12.10.000/2021-22 dated June 25, 2021)

I understand that trust is the foundation of my profession. I, therefore, pledge:

- To act with utmost integrity and pursue my work in an honest and ethical manner;
- To lead by example exhibiting integrity in personal behaviour;
- To obey the letter and spirit of the law and to pursue my ends with ethical restraint;
- To neither take nor offer bribe;
- To perform all tasks in an honest and transparent manner and to always act in public interest;
- To report any incident of corruption to the appropriate agency and to speak out against wrongdoing and support others who do the same;
- To take responsibility for my actions and consider the effects on others.

Signature of MD/WTD

Date:

Place and address:

Annex III

Name of UCB: _____

'Declaration and Undertaking' by a proposed MD/WTD'
(with appropriate enclosures)

(Refer circular DOR.GOV.REC.25/12.10.000/2021-22 dated June 25, 2021)

Sr.No.	Particulars	Information Disclosed		
I. Personal details				
1.	Name in full	First Name	Middle Name	Last Name
2.	Father's name			
3.	Gender (M/F/others)			
4.	Present address			
5.	E-mail address & alternate e-mail address:			
	Telephone Number with STD code:			
	Mobile Number:			
6.	Nationality			
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	-- / -- / ---- Age: -- years -- months		
8.	Educational qualifications			
9.	Aadhaar Number			
10.	(a) Permanent Account Number (PAN) (b) Place where the MD/ WTD is assessed to tax (Income Tax jurisdiction)/name and address of Income Tax Circle/Ward (c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years			
		Date of filing	Amount of tax paid (INR)	

11.	Permanent address				
12.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)				
13.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.				
14.	Details regarding work experience in banking sector/ RBI regulated entity (name of the bank/ entity, number of years at different designations, functional areas, etc.)				
15.	<p>In case a Chartered Accountant, indicate the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI: (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you: 				
16.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number

17.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)	
18.	Any other information relevant for appointment as MD/WTD of the bank:	

II. Relevant Relationships of proposed MD/WTD

19.	List of relatives, if any, who are connected with the bank:															
20.	List of entities in which: (a) interested (b) beneficial ownership (c) Trustee															
21.	List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) ¹ of the Banking Regulation Act, 1949 (as applicable to UCBs)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><i>Name of the company / firm</i></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td><i>Country of incorporation</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Number of shares</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Face Value of each share</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Total face value of share holding</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Shareholding as % of total Paid up Capital</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>Beneficial interest</i> <i>(in value as well as % terms)</i></td> <td></td> </tr> </table>	<i>Name of the company / firm</i>		<i>Country of incorporation</i>		<i>Number of shares</i>		<i>Face Value of each share</i>		<i>Total face value of share holding</i>		<i>Shareholding as % of total Paid up Capital</i>		<i>Beneficial interest</i> <i>(in value as well as % terms)</i>	
<i>Name of the company / firm</i>																
<i>Country of incorporation</i>																
<i>Number of shares</i>																
<i>Face Value of each share</i>																
<i>Total face value of share holding</i>																
<i>Shareholding as % of total Paid up Capital</i>																
<i>Beneficial interest</i> <i>(in value as well as % terms)</i>																

¹ *substantial interest* " (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

		<i>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</i>	
22.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.		
23.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/was held).		
24.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.		
25.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.		
26.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (20) to (25) above.		
27.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (20) to (25) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.		

III. Records of professional achievements		
28.	Professional achievements relevant for the post of MD/WTD.	
IV. Proceedings, if any, against the proposed MD/WTD		
29.	(a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof. (b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.	
30.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (20) to (25) above for violation of economic laws and regulations.	
31.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.	
32.	Whether he/she has indulged in or penalised for any breach of AML/CFT guidelines, if so, details thereof.	
33.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	

34.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
35.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.	
	(b) If convicted by any Court of law, details thereof?	
36.	If as an individual or any of the entities at (20) to (25) above have been subject to any investigation/ vigilance/matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	
37.	If found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
38.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any other regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. <i>(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be</i>	

	<i>necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).</i>	
V. General Information		
39.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/undertaken any professional work in any bank or RBI regulated entity, provide details thereof including the name and period of association.	
40.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
VI. In the interest of disclosure and transparency, should there be any other information relevant for assessing 'fit and proper' status, provide details thereof.		
	<u>Undertaking</u>	
I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.		

I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the bank.		
		Signature of proposed MD / WTD
	Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) of having satisfied itself that the above information is true and complete.	
		Signature of the Chair of the NRC

Annex IV

List of Documents

(Refer circular DOR.GOV.REC.25/12.10.000/2021-22 dated June 25, 2021)

1. Covering Letter by UCB submitting the application for approval for appointment / re-appointment of MD/WTD duly signed by the authorised signatory with bank's seal.
2. Declaration and Undertaking by MD/WTD in the format as prescribed in [Annex III](#).
3. Board Resolution recommending the appointment / re-appointment of MD/WTD subject to approval from RBI
4. Identity document (any one) – PAN Card / Election Card / Driving License / Passport/ Aadhaar
5. Educational Qualification - HSC Passing Certificate, Graduation and Post-Graduation Certificate, any other document evidencing the educational qualification/Professional qualification of the MD/WTD designate
6. Experience Certificate/s from previous employer/s
7. Credit Information Report (Score + complete report) (not older than 6 months)
8. Banker's Report for all accounts (both deposit and loan accounts) where the candidate is a primary account holder
9. [Form A](#)
10. Demat / Shareholding certificate showing the shareholding of MD/WTD held in any entity
11. Details regarding remuneration to be paid to MD/WTD